भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2000

31 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

भारत में खनन क्षेत्र

2000. श्री संजय सिंहः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्पत्ति के स्थान से गंतव्य तक कोयले के परिवहन में संभार तंत्र की अक्षमताओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को रोकने के लिए और इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार रेलवे के विकल्पों की तलाश कर रही है क्योंकि यातायात की अधिकतम गतिविधियों को यही पूरा करती है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे के संचालन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

खान एवं कोयला राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी)

(क) से (ख) : कोयले की उसके विभिन्न उपभोक्ताओं तक परिवहन से संबंधित कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में कोई लॉजिस्टिक अक्षमता नही रही है।

तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि कोयला साईडिंग/खान स्टॉक से अंत्य उपयोग स्थान तक परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती है।

(ग) से (घ) : भारत सरकार के माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एनआरई) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 25.01.2018 को आयोजित बैठक में कोयले को लाने ले जाने के लिए परिवहन की कैप्टिव विधि जैसे कन्वेयर बेल्ट, मेरी गो राउंड (एमजीआर) के प्रयोग पर बल दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि खदान निकासी से 20 किमी के भीतर अवस्थित विद्युत संयंत्र, 2 वर्ष के भीतर एलिवेटिड क्लोज्ड बेल्ट कन्वेयर का निर्माण करेंगे । इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि खदान निकासी से 40 किमी के भीतर अवस्थित विद्युत संयंत्र, 3 वर्ष के भीतर एमजीआर का निर्माण करेंगे एवं 40 किमी से 100 किमी तक के भीतर अवस्थित विद्युत संयंत्र भी वित्तीय व्यवहारिकता के आधार पर एमजीआर के विकल्प पर विचार कर सकते हैं।

*****